

रजिस्ट्रेशन नम्बर-एस०एस०पी०/एल० डब्लू०/एन०पी०-91/2014-16 लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट भाग—1, खण्ड (क) (उत्तर प्रदेश अधिनियम)

लखनऊ, शुक्रवार, 13 मार्च, 2020

फाल्गुन 23, 1941 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन

विधायी अनुभाग-1

संख्या 421/79-वि-1—20-1(क)-11-2020 लखनऊ, 13 मार्च, 2020

अधिसूचना विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तर प्रदेश फण्डामेन्टल रूल 56 (संशोधन और विधिमान्यकरण) विधेयक, 2020 जिससे वित्त (सामान्य) अनुभाग-2 प्रशासनिक रूप से सम्बन्धित है, पर दिनांक 12 मार्च, 2020 को अनुमित प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 9 सन् 2020 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश फण्डामेन्टल रूल 56 (संशोधन और विधिमान्यकरण) अधिनियम, 2020

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 9 सन् 2020)

[जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ]

फण्डामेन्टल रूल 56 का अग्रतर संशोधन करने और तद्धीन या तत्संबंध में कृत कतिपय कार्यवाहियों का विधिमान्यकरण करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के इकहत्तरवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :--

1—यह अधिनियम उत्तर प्रदेश फण्डामेन्टल रूल 56 (संशोधन और संक्षिप्त नाम विधिमान्यकरण) अधिनियम, 2020 कहा जायेगा। फण्डामेन्टल रूल 56 का संशोधन 2-समय-समय पर यथा संशोधित वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड 2, भाग 2 से 4 तक में प्रकाशित उत्तर प्रदेश फण्डामेन्टल रूल (जिसे आगे उक्त रूल कहा गया है) के नियम 56 में, खण्ड (ङ) में प्रतिबंधात्मक खण्ड निकाल दिया जायेगा और उसे दिनांक 1 जनवरी, 2006 से निकाला गया समझा जायेगा।

विधिमान्यकरण

3-किसी न्यायालय के किसी निर्णय, डिक्री या आदेश के होते हुए भी उत्तर प्रदेश फण्डामेन्टल रूल 56 (संशोधन और विधिमान्यकरण) अधिनियम, 2020 के प्रारम्भ होने के पूर्व शासनादेश संख्या सा-3-1508/10-2008-308-97, दिनांक 8 दिसम्बर, 2008 (यथा संशोधित) के पैरा 6 के निबन्धनों में रूल 56 के खण्ड (ङ) के अधीन या तत्सम्बन्ध में कृत या की गयी तात्पर्यित कोई बात और कृत या की गयी तात्पर्यित कोई कार्यवाही, उत्तर प्रदेश फण्डामेन्टल रूल 56 (संशोधन और विधिमान्यकरण) अधिनियम, 2020 द्वारा यथा संशोधित उक्त रूल 56 के खण्ड (ङ) के अधीन या तत्सम्बन्ध में किये जाने हेतु और सदैव से कृत या की गयी समझी जायेगी और वे उतनी ही विधिमान्य होंगी तथा सदैव विधिमान्यकृत समझी जायेंगी मानों उक्त अधिनियम के उपबन्ध दिनांक 1 जनवरी, 2006 से समस्त सारवान समयों पर प्रवृत्त थे।

उद्देश्य और कारण

उत्तर प्रदेश फण्डामेन्टल रूल 56 के खण्ड (ङ) में यह उपबंध है कि ऐसे प्रत्येक सरकारी सेवक, जो इस नियम के अधीन सेवा-निवृत्त होता है या जिससे सेवा-निवृत्त होने की अपेक्षा की जाती है या जिस सेवा-निवृत्त होने की अनुज्ञा दी जाती है, सुसंगत नियमों के उपबंधों के अनुसार और उनके अधीन रहते हुए, सेवा-निवृत्त पेंशन संदेय होगी और सेवानिवृत्ति संबंधी अन्य लाभ, यदि कोई हों, उपलब्ध होंगे। प्रतिबन्ध यह है कि जहाँ कोई ऐसा सरकारी सेवक, जो इस नियम के अधीन स्वेच्छया सेवा-निवृत्त होता है या जिसे स्वेच्छया सेवा-निवृत्त होने की अनुज्ञा दी जाती है, वहाँ नियुक्त प्राधिकारी उसे पेंशन और उपदान, यदि कोई हो, के प्रयोजनार्थ, पांच वर्ष की या ऐसी अवधि की, जिसमें वह कार्य किया होता, यदि वह अपनी अधिवर्षता की आयु के साधारण दिनांक तक रहता, जो भी कम हो, अतिरिक्त सेवा के लाभ की अनुज्ञा दे सकता है।

छठवें केन्द्रीय वेतन आयोग ने यह संस्तुत किया है कि सरकारी सेवकों को बीस वर्ष की अर्हकारी सेवा पूर्ण करने पर अर्थात् दिनांक 01—01—2006 से पूर्ण पेंशन की अनुज्ञा दी जानी चाहिए। उक्त नियम का उपबंध शासनादेश संख्या सा-3—1508/10—2008—308—97, दिनांक 8 दिसम्बर, 2008 और शासनादेश संख्या सा—3—जी0आई0—28/दस—2008, दिनांक 6 जनवरी, 2009 एवं शासनादेश संख्या सा-3—1622/दस—2010—308/97, दिनांक 10 नवम्बर, 2010 द्वारा संशोधित किया जा चुका है, किन्तु यथा पूर्वोक्त उपबंध उक्त खण्ड में विद्यमान है। छठवें केन्द्रीय वेतन आयोग की संस्तुति के समान तत्संबंधी उपबंध करने के लिए दिनांक 01—01—2006 से उत्तर प्रदेश फण्डामेन्टल रूल 56 के उक्त खण्ड (ङ) में संशोधन करने का विनिश्चय किया गया है।

तद्नुसार उत्तर प्रदेश फण्डामेन्टल रूल 56 (संशोधन और विधिमान्यकरण) विधेयक, 2020 पुरः स्थापित किया जाता है।

> अाज्ञा से, जे0 पी0 सिंह—II, प्रमुख सचिव।

No. 421(2)/LXXIX-V-1-20-1(Ka)-11-2020 Dated Lucknow, March 13, 2020

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Fundamental Rule 56 (Sanshodhan aur Vidhimanyakaran) Adhiniyam, 2020 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 9 of 2020) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the Governor on March 12, 2020. The Vitta (Samanya) Anubhag-2 is administratively concerned with the said Adhiniyam.

THE UTTAR PRADESH FUNDAMENTAL RULE 56 (AMENDMENT AND VALIDATION) ACT, 2020

(U.P. Act no. 9 of 2020)

[As passed by the Uttar Pradesh Legislature]

AN

ACT

further to amend the Fundamental Rule 56 and to validate certain actions taken thereunder or in relation thereto.

IT IS HEREBY enacted in the Seventy-first Year of the Republic of India as follows:-

1. This Act may be called the Uttar Pradesh Fundamental Rule 56 (Amendment and validation) Act, 2020.

Short title

2. In rule 56 of the Uttar Pradesh Fundamental Rules published in the Financial Handbook Volume II, Parts II to IV, as amended from time to time (hereinafter referred to as the said rule), in clause (e) the proviso shall be omitted and be deemed to have been omitted with effect from January 1, 2006.

Amendment of Fundamental Rule 56

3. Notwithstanding any judgment, decree or order of any Court, anything done or purporting to have been done and any action taken or purporting to have been taken under or in relation to the said clause (e) of Rule 56 in terms of the paragraph 6 of the Government Order No. Sa-3-1508/X-2008-308-97, dated December 8, 2008 (as amended) before the commencement of the Uttar Pradesh Fundamental Rule 56 (Amendment and Validation) Act, 2020 shall be deemed to be and always to have been done or taken under or in relation to the said clause as amended by the Uttar Pradesh Fundamental Rule 56 (Amendment and Validation) Act, 2020 and to be and always to have been valid as if the provisions of the said Act were in force at all material times with effect from January 1, 2006.

Validation

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

Clause (e) of Uttar Pradesh Fundamental Rule 56 provides that a retiring pension shall be payable and other retirement benefits, if any, shall be avilable in accordance with and subject to the provisions of the relevant rules to every Government servant who retires or is required or allowed to retire under this rule. Provided that where a Government servant who voluntarily retires or is allowed voluntarily to retire under this rule the appointing authority may allow him, for the purposes of pension and gratuity, if any, the

benefit of additional service of five years or of such period as he would have served if he had continued till the ordinary date of his superannuation, whichever be less.

Sixth Central Pay Commission has recommended that full pension should be allowed to Government servants on completing twenty years of qualifying service with effect from 01-01-2006. The provision of the said rule has been amended by Government Order No. Sa-3-1508/Ten-2008-308-97, dated December 8, 2008 and Government Order No. Sa-3-G.I.-28/Ten-2008, dated January 6, 2009 and Government Order No. Sa-3-1622/Ten-2010-308/97, dated November 10, 2010 but the provision as aforesaid is existing in the said cluase. It has been decided to amend the said clause (e) of Uttar Pradesh Fundamental Rules 56 with effect from 01-01-2006 to make the provision thereof similar to the recommendation of Sixth Central Pay Commission.

The Uttar Pradesh Fundamental Rule 56 (Amendment and Validation) Bill, 2020 is introduced accordingly.

By order,
J. P. SINGH-II,
Pramukh Sachiv.

पी०एस0यू०पी०—ए०पी० ७४९ राजपत्र—(हि०)—2020—(1782)—599 प्रतियां—(क० / टी० / ऑफसेट)। पी०एस0यू०पी०—ए०पी० १६४ सा० विधायी—2020—(1783)—300 प्रतियां—(क० / टी० / ऑफसेट)।